



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Registration No. 2037
प्ररूप 26

भारत
STAMP DUTY
0000
Rs. 0000100
374 150
INDIA
बिहार
JUDICIAL
-5.4.2014
BIHAR
9519 7326336

(नियम 4 क देखिए)

No. 2206 Date 7-4-14



13 मधेपुरा (सामान्य) संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं विजय कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी राम नारायण सिंह
आयु 56 (द्विपन) वर्ष, जो चन्द्रनगर रोको, पी० - कोशी कॉलेज
जिला-खगड़िया (बिहार) पिन-851205

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- मैं भारतीय जनता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)
- मेरा नाम 149 खगड़िया (सा०) विधानसभा, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 52 (बावन) के क्रम सं. 427 (चार सौ खगड़िया) पर प्रविष्ट है।
- मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 7739114200 है/हैं, मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) Vijaykumarsingh.kushwaha@gmail.com
- स्पष्ट लेखा संख्यांक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रारिथति:



Vijay Kumar Singh

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रुपए में)
1.	स्वयं	AMPQS1673P	2012-2013	4,74,870=00
2.	प्रतिभा पत्नी	AGLPK4288M	2012-2013	4,71,660=00
3.	आश्रित-1	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आश्रित-2	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:- लागू नहीं

1. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। लागू नहीं

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं



(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरहित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं

II. निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	<p>(i) खगड़िया थाना कांड संख्या – 313/2001, जिला- खगड़िया, बिहार</p> <p>(ii) नवगछिया थाना कांड संख्या- 136/2004, जिला- भागलपुर, बिहार</p> <p>(iii) उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या- 17/2012, जिला- मधेपुरा, बिहार</p> <p>(iv) मधेपुरा थाना कांड संख्या- 201/2014, जिला- मधेपुरा, बिहार</p>
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धारएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	<p>(i) 144,341,342,145,153,353 भा0द0वि0</p> <p>(ii) 171(C) भा0द0वि0, 130(E), 131(B), 133 आ0पी0ए0ए0ए01951</p> <p>(iii) 341,323,504,34 भा0द0वि0</p> <p>(iv) 144,188 भा0द0वि0</p>
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<p>(i) सी जे एम खगड़िया, खगड़िया थाना कांड संख्या-313/2001 संज्ञान की तारीख- 19.02.2003</p> <p>(ii) ए सी जे एम नवगछिया, नवगछिया थाना कांड संख्या- 136/2004 संज्ञान की तारीख - 02.02.2005</p> <p>(iii) संज्ञान नहीं लिया गया</p> <p>(iv) संज्ञान नहीं लिया गया</p>



(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	(i) सी जे एम खगड़िया (ii) ए सी जे एम नवगछिया (iii) अंतिम प्रपत्र दाखिल, सी जे एम मधेपुरा में लंबित (iv) अनुसंधान के लंबित
(ड)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	(i) 19.02.2003 (ii) 02.02.2005
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं

मदद(I) में वर्णित मामलों से भिन्न):-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

6) मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों)



से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिराक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: **लागू नहीं**

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोधित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	लागू नहीं

7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तरा दिए जाने हैं।



क्रम सं	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आशित - 1 प्रियम्बदा	आशित - 2 राजश्री	आशित - 3
(i)	हाथ में नकदी	रु0 150000.00	रु0 160000.00	रु0 35000.00	रु0 25000.00	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियम जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	(क) एस0बी0आई0, सन्हीली, खाता संख्या- 11596762593, जमा राशि- रु0 275120.00 (ख) एस0बी0आई0, नालन्दा, खाता संख्या-10276527380, राशि- रु0 171889.00 (ग) एस0बी0आई0, नई दिल्ली, खाता संख्या- 10115344813, राशि- रु0 34465.00 (घ) रा0ब0पत्र, राशि- रु0 100000.00	(क) सेन्द्रल बैंक, खगड़िया शाखा खाता संख्या- 11854, राशि रु0 190303.00 (ख) एस0बी0आई0, पी0एच0 शाखा नई दिल्ली, खाता संख्या- 010023818958 राशि रु0 210811.00 (ग) एस0बी0आई0 बि0वि0 मंडल शाखा, खाता संख्या- 01839464466, राशि रु0 94206.00 (घ) नियत जमा एस0बी0आई0 बि0वि0मंडल शाखा, राशि रु0 129000.00, एस0बी0आई0 संसद शाखा राशि रु0 951969.00, सचिवालय शाखा, राशि रु0 206806.00 (ङ) रा0ब0पत्र राशि रु0 270000.00	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



विमलकुमार

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी नं० 521792674, वार्षिक प्रीमियम रू० 42586.00	भारतीय जीवन बीमा निगम (क) पॉलिसी नं० 521792675, वार्षिक प्रीमियम रू० 27891.00 (ख) पालिसी नं० 521323074, वार्षिक प्रीमियम रू० 2577.00 (ग) पालिसी नं० 06173493, एकल प्रीमियम रू० 64396.00 (घ) पालिसी नं० 1734992, एकल प्रीमियम राशि रू० 76130.00	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना 60 ग्राम, मूल्य रू० 180000.00 लगभग चॉदी 125ग्राम मूल्य रू० 5500.00 लगभग	सोना 200 ग्राम मूल्य रू० 600000.00 लगभग चॉदी 300 ग्राम मूल्य रू० 132000.00 लगभग	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	रू० 959560.00	रू० 3116179.00	रू० 35000.00	रू० 28000.00	शून्य



विजय कुमार

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या आपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - प्रिन्सिपल	आश्रित - राज्यी	आश्रित - 3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	(क)मौजा- परमानन्दपुर, सन्हौली, रांका, खाता 46,83,29,42,269 खेसरा 11,37,323,12,549,692 (ख)बिहारीगंज, मौजा गमैल खाता 377 खेसरा 370,365,374 (ग) मौजा सनहा बेगूसराय, खाता 730 खेसरा 1036 (घ) मौजा निकसपुर मोरबा, खाता 150,180 खेसरा 1884,87,88,89,90, 1127	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	6.22 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	दिनांक- 06.05.02, 28.03.11,26.10.11 19.03.12, 27.03.12, 27.07.12 एवं 11.11.13	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹ 2750307.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



विजय कुमार

	विकास,संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रु0 5000000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हो या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



विश्वकर्मा

	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड बहादुरपुर, पटना प्लैट नं० 7एच. एफ1/5	(i) प्लैट नं० 101 शकुनतला टावर, कृषि नगर ए० जी० कॉलोनी, पटना 23 (ii) आम्रपाली सेफायर डेभलपर प्रा० लि०	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1266 वर्ग फीट	1250 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	उपलब्ध नहीं	वर्ष 2013	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	रु० 745286.00	रु० 3333427.00	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रु० 2000000.00 लगभग	रु० 5000000.00 लगभग	शून्य	शून्य	शून्य



विजयशर्मा

(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	रिवॉलवर ला.नं. एन. डी.पी.एस. /03/2001/349 अनुमानित मूल्य रू0 60000.00	एक रिवॉलवर एक रायफल ला.नं. एन. डी.पी.एस. /08/2000/0268 अनुमानित मूल्य रू0 75000.00	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	रू0 7060000.00	रू0 5075000.00	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1 प्रियम्बदा	आश्रित - 2 राजश्री	आश्रित - 3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम ऋण की प्रकृति)	शून्य	एस.बी.आई बोरिंग रोड, पटना, राशि रू0 1598602.00	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	रू0 1598602.00	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



विभवतः

	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका / संपत्ति कार शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यारे :

(क) स्वयं :- खेती एवं समाज सेवा

(ख) पत्नी-या पत्नी :- खेती एवं समाज सेवा

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीच दिये अनुसार है :-

परीक्षा उत्तीर्ण	विद्यालय / महाविद्यालय	वर्ष
माध्यमिक	उ०वि० जनदाहा, वैशाली	1969
अन्तर स्नातक	कोशी कॉलेज, खगड़िया	1972



विजय कुमार

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रत्येक का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुभ विजय कुमार सिंह		
2	डाक का पता	चन्द्रमार्ग रोड, पो. - कौशी कालेज जिला - खगड़िया, बिहार पिन-851205		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	149 खगड़िया (खामान्य) विधान सभा बिहार		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को सझा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय जनता पार्टी		
5	i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	लागू नहीं		
	ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	दो		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ढहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य		
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	AM&PS1673P	2012-2013	4,74,870=00



	(ख) पति या पत्नी	AGLPK4288M	2012-2013	4,71,660=00		
	(क) आश्रित	नहीं	नहीं	नहीं		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	959560=00 रुपये	3116179=00 रुपये	35000=00 रुपये	25000=00 रुपये	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां					
i	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	745286=00 2750307=00 रुपये 60000=00	75000=00 3333427=00 रुपये	नहीं	नहीं	नहीं
ii	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
iii	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	7060000=00 रुपये	5075000=00 रुपये	नहीं	नहीं	नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	2500000=00 रुपये	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	दायित्व					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	1598602=00 रुपये	शून्य	शून्य	शून्य



10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	नहीं				
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	<p>उच्चतम शैक्षिक अर्हता:</p> <p><u>परीक्षा उत्तीर्ण</u> <u>विद्यालय/महाविद्यालय का नाम</u> <u>वर्ष</u></p> <p>1. माध्यमिक - उठ वि० जन्दाडा, वैशाली - 1969</p> <p>2. अन्तर-स्नातक - कौशी कॉलेज, स्वर्गाडिया - 1972</p> <p>(प्रमाणपत्र/डिप्लोम/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)</p>					



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग भिन्न नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 07.04.2014 को सत्यापित किया गया।

विजय कुमार
अभिसाक्षी

Sri/Smt. Manoj Kumar Singh
who is identified by Sri
Smrit Kumar, Advocate

Manoj Kumar
7-4-14

Identified by me

टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....7739114200.....

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....Vijaykumarsinghkushwaha@gmail.com.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) हैं.....*.....

Vijaykumar